

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदया

बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

विषय : पंजीकृत पशु व्यापारी से पशु क्रय करने बावत्।

महोदया,

निवेदन है कि प्रार्थी अंतराज्यीय पशु व्यापारी है, पशुधन विकास विभाग से वि.स्र. के तहत के ग्राम पंचायत केशगंवा में उन्नत किस्म के बकरे व बकरी व दो गाय के लिये पशु मेला पशु चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिसमें पशु मेले में कई तरह की खामिया हैं :

01. विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से पशु क्रय न करके बाजार के व्यापारियों से क्रय करने हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है जो पंजीकृत व्यापारियों के साथ ज्यादाती है।

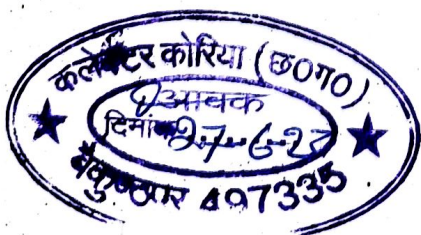
02. पशुओं को 21 दिन तक क्वारंटाईन में रखने की शर्त है चूंकि बरसात का समय है और बारिश भी लगातार हो रही है और बकरी बहुत ज्यादा सेनसेटिव जानवर है, थोड़े से भीगने पर बीमार हो जाती है और मरना शुरू होती है तो दूसरों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में व्यापारी के थोड़े से भी जानवर मर जाते हैं तो ऐसे में बहुत आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ेगा।

03. भुगतान 21 दिन के बाद करने की बात जारी विज्ञापन में कही गई है, चूंकि व्यापारी सामान देने के बाद अपने पैसे के लिये लम्बा इंतजार करें, ये कैसा इंसफ है।

अतः महोदया से निवेदन है कि हमारे द्वारा दि गई शिकायत पर गंभीरता से विचार कर पशु व्यापारियों को न्याय दिलाया जाये।

दिनांक : 27.06.2025

संलग्न : पंजीकृत पशु व्यापारी की छायाप्रति



प्रार्थी


दीपक सिंह चौहान

ग्राम भांडी, पो. कसरा

तह.- बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

MO. No- 9926616119